135/2001 — (116)

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2000

सा.का.नि. 449.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (स्टाफ कार चालक और सवार हरकारा भर्ती नियम, 1988 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग [स्टाफ कार चालक और सवार हरकारा (भर्ती) संशोधन] नियम, 2000 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

लागू होना—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

2. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (स्टाफ कार चालक और सवार हरकारा) भर्ती नियम, 1988 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतनमान	योग्यता या चयन-सह-ज्येष्ठता के के आधार पर चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1. सवार हरकारा	04* 2000 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (अराजपत्रित अननुसचिवीय)	3050-75-3950-80-4590 रु०	लागू नहीं होता	नहीं	25 वर्ष से अधिक नहीं केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है। टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिये नियत की गई अंतिम तारीख होगी (अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों को छोड़कर) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक: 1. मोटर साइकिल या आटो रिक्शा चालन की विधिमान्य अनुज्ञप्ति रखते हों। 2. मोटर साइकिल या आटो रिक्शा की यंत्र-क्रिया का ज्ञान (वाहनों में छोटी-छोटी खराबियां दूर करने में योग्य हों। 3. मोटर साइकिल या आटो रिक्शा चलाने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो। 4. यातायात विनियमन से पूर्ण रूप से परिचित हों। 5. अंग्रेजी और हिन्दी या उस क्षेत्र की जिसमें नियोजन करने वाला संगठन स्थित है, प्रादेशिक भाषा पढ़ने की योग्यता हो। वांछनीय : 1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. होम गार्ड/नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक के रूप में तीन वर्ष सेवा की हो।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

टिप्पण : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर उसकी यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जायेगा
11	12
आमेलन जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	आमेलन :—संगठन में जिसमें पद भरे जाने हैं। ऐसे नियमित समूह 'घ' कर्मचारियों में से जिनके पास मोटर साइकिल/आटो रिक्शा की विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति है सक्षमता का निर्धारण करने के लिए चालन परीक्षण के आधार पर। सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिक जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त या स्थानांतरित होने वाले हैं और जिनके पास स्तंभ 8 में विहित अपेक्षित अनुभव और अर्हता है उन्हें सशस्त्र बलों से निर्मुक्त होने की तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधन दिए जाएंगे तत्पश्चात् वे पुनर्नियोजन पर बने रह सकेंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि

114

12
जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रति-नियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :— (1) सहायक नियंत्रक महालेखापरीक्षक —अध्यक्ष (2) ज्येष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (एन) की पंक्ति का कोई अन्य अधिकारी (आई ए और ए डी से अन्यथा किसी कार्यालय से) —सदस्य (3) ज्येष्ठ लेखा अधिकारी/लेखा परीक्षा अधिकारी की पंक्ति का अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
2. स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड)	57* 2000 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" (अराजपत्रित, अननुसचिवीय)	3050-75-3950-80-4590 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	25 वर्ष से अधिक नहीं केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है : टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिये नियत की गई अंतिम तारीख होगी (अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों को छोड़कर) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के के लिये कहा गया है ।

8	9	10
आवश्यक: 1. मोटर कार की विधिमान्य अनुज्ञप्ति रखते हों। 2. मोटर कार की यंत्र क्रिया का ज्ञान (वाहनों में छोटी-छोटी खराबियाँ दूर करने में योग्य हों।) 3. मोटर कार चलाने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो। 4. यातायात विनियमन से पूर्ण रूप से परिचित हों। 5. अंग्रेजी और हिन्दी या उस क्षेत्र की जिसमें नियोजन करने वाला संगठन स्थित है, प्रादेशिक भाषा को पढ़ने की योग्यता हो। वांछनीय: 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. होम गार्ड/नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक के रूप में तीन वर्ष सेवा की हो। ण : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) नियुक्तकर्ता प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर उसकी यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियां को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

1'	12
आमेलन जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	आमेलन :—संगठन में (जिसमें पद भरे जाने हैं) ऐसे नियमित सवार हरकारा और समूह 'घ' कर्मचारियों में से जिनके पास मोटर कार चालन की विधिमान्य अनुज्ञप्ति है सक्षमता का निर्धारण करने के लिए चालन परीक्षण के आधार पर । सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिक जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त या स्थानांतरित होने वाले हैं और जिनके पास स्तंभ 8 में विहित अपेक्षित अनुभव और अर्हता है उन्हें सशस्त्र बलों से निर्मुक्त होने की तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधन दिये जायेंगे तत्पश्चात् वे पुनर्नियोजन पर बने रह जायेंगे । प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :— (1) सहायक नियंत्रक महालेखापरीक्षक —अध्यक्ष (2) ज्येष्ठ उप महालेखाकार/उपमंडललेखाकार (एन) की पंक्ति का कोई अन्य अधिकारी (आई ए और ए डी से अन्यथा किसी कार्यालय से) —सदस्य (3) ज्येष्ठ लेखाधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी की पंक्ति का अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
3. स्टाफ कार चालक श्रेणी-2	26* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", (अराजपत्रित, अननुसचिवीय)	4000-100-6000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
4. स्टाफ कार चालक श्रेणी-1	20* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" (अराजपत्रित, अननुसचिवीय)	4500-125-7000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : ऐसे स्टाफ कार चालक, साधारण श्रेणी, जिन्होंने समुचित मानक का व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने पर उस श्रेणी में नौ वर्ष नियमित सेवा की है।
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : ऐसे स्टाफ, कार चालक, श्रेणी 2 जिन्होंने समुचित मानक का व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने पर उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है।

13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिये जिसमें निम्नलिखित होंगे :—	लागू नहीं होता
(1) ज्येष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार या समतुल्य पंक्ति का अधिकारी जो प्रशासन समूह का भारसाधक हो।	
(2) कोई अन्य ज्येष्ठ उप महालेखाकार/उपमंडललेखाकार (जो उस कार्यालय से भिन्न कार्यालय से हो, जिसमें पुष्टि पर विचार किया जा रहा है।)	
(3) कोई लेखा/लेखा परीक्षा अधिकारी ।	
टिप्पण :—उपरोक्त (1) और (2) में से ज्येष्ठ व्यक्ति अध्यक्ष होगा।	
विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—	लागू नहीं होता
(1) ज्येष्ठ उप महालेखाकार/उपमहालेखाकार या समतुल्य पंक्ति का अधिकारी जो प्रशासन समूह का भारसाधक हो।	
(2) कोई अन्य ज्येष्ठ उप महालेखाकार/उपमंडललेखाकार (जो उस कार्यालय से भिन्न कार्यालय से हो, जिसमें पुष्टि पर विचार किया जा रहा है) ।	
(3) कोई लेखा/लेखा परीक्षा अधिकारी।	
टिप्पण : उपरोक्त (1) और (2) में से ज्येष्ठ व्यक्ति अध्यक्ष होगा।	

[फा. सं. ए–12018/21/99-ई.जी.]

बी. कुमार, उप सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3 (i) के पृष्ठ 2312–18 या सा.का.नि. 0613, तारीख 14-7-88 द्वारा प्रकाशित किये गए थे।

177

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, सितम्बर, 2001

शुद्धिपत्र

उपखण्ड (i)

दिनांक 18.11.2000 को भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड- 3, के पृष्ठ संख्या 3411-3421 में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की अधिसूचना संख्या- जी.एस.आर. 449, दिनांक 31.10.2000 के हिन्दी रूपान्तर में:-

(i) नियम 1(2) के नीचे की गई प्रविष्टि को निरस्त समझा जाए ।

(ii) अनुसूची के कालम 4 में स्टाफ कार घालक श्रेणी-I के पद के संबंध में दिए गए वेतनमान "4500-125-6000/-रुपए" के स्थान पर "4500-125-7000/-रुपए" पढ़ा जाए ।

(iii) अनुसूची के कालम 12 में स्टाफ कार चालक श्रेणी-I के पद के संबंध में "स्टाफ कार चालक श्रेणी" के लिए "स्टाफ कार चालक श्रेणी-II" पढ़ा जाए ।

(iv) अनुसूची के कालम12 में सवार हरकारा तथा स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) के पद के संबंध में शीर्षक "आमेलन" के तहत की गई प्रयिष्टियों के नीचे "प्रतिनियुक्ति/भूतपूर्व सैनिकों की पुनर्नियुक्ति" शीर्षक जोड़ा जाए ।

(v) अनुसूची के कालम 13 के अंतर्गत सवार हरकारा तथा स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) के पदों के लिए की गई प्रविष्टियों को अनुसूची के कालम 13 के तहत स्टाफ कार चालक, श्रेणी-II तथा स्टाफ कार चालक, श्रेणी-I के पदों के लिए की गई प्रविष्टियों से आपस में बदला हुआ माना जाए ।

(राज कुमार अरोड़ा)
उप सचिव, भारत सरकार

(संख्या ए-12018/21/99-ई.जी.)

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार प्रैस,
मायापुरी, नई दिल्ली ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 31st October, 2000

G.S.R. 449.—In exercise of the powers conferred by clause (5) of article 148 of the Constitution, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor General, hereby makes the following rules to amend the Indian Audit and Accounts Department (Staff Car Driver and Despatch Rider) Recruitment Rules, 1988, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Audit and Accounts Department (Staff Car Driver and Despatch Rider) Recruitment (Amendment) Rules, 2000.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Audit and Accounts Department (Staff Car Driver and Despatch Rider) Recruitment Rules, 1988 for the schedule, the following schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

..e of Post	Number of Posts	Classification	Scale of Pay
1	2	3	4
1. Despatch Rider	04* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 3050-75-3950-80-4590

Whether Selection by merit or selection-cum-seniority post or non-..lection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1992	Age limit for direct recruits
5	6	7
Not applicable	No	Not exceexing 25 years (Relaxable for Government Servants upto the age of 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date of determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

..ducational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any
8	9	10
Essential : 1. Possession of a valid driving licence for Motor-Cycle or Auto-Rickshaw. 2. Knowledge of Motor-Cycle or Auto-Rickshaw mechanism (should be able to remove minor defects in the vehicles). 3. Experience of driving a Motor-Cycle or Auto-Rickshaw for atleast two years. 4. Should be fully conversant with traffic regularisations. 5. Ability to read English and Hindi or Regional Language of the area in which the employing organisation is situated.	Not applicable	Two years

8

Desirable :

1. A pass in the 8th standard from a recognised Board.

2. Three years service as Home Guard Civil Defence Volunteer

Note : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the appointing authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection it is of the opinion that sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of pots to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation abosprtion, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
11	12
Absorption, failing which by deputation/re-employment failing which by direct recruitment.	Absorption : On the basis of driving test to assess the competence, from amongst regular Group D employees in the organisation (in which the posts are to be filled up) who possess valid driving licence for Motor Cycle/Auto Rickshaw. Deputation/re-employment of Ex-Servicemen : The Armed Forces personnel due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualification prescribed in Column 8 would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. (Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of Central Government shall ordinarily not exceed three years).

13	14
Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of : 1. Senior Deputy Accountant General/Deputy Accountant General or an office of equivalent rank in-charge of administration group. 2. Any other Senior Deputy Accountant General/Deputy Accountant General from an office other than the one in which confirmation are considered. 3. An Accounts/Audit Officer. Note : The senior amongst (1) and (2) above will be the Chairman.	Not applicable

1	2	3	4
2. Staff Car Driver (Ordinary Grade)	57* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 3050-75-3950-80-4590

92

(5)	(6)	(7)
Not applicable	No	Not exceeding 25 years. (Relaxable for Government Servants upto the age of 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date of determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

(8)	(9)	(10)
Essential : 1. Possession of a valid driving licence for motor cars. 2. Knowledge of motor mechanism (should be able to remove minor defects in the vehicles). 3. Experience of driving a motor car for three years. 4. Should be fully conversant with traffic regularisations. 5. Ability to read English and Hindi or Regional language of the area in which the employing organisation is situated. Desirable : 1. A pass in the 8th standard from a recognised Board. 2. Three years service as Home Guard/Civil Defence Volunteer. Note : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the appointing authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection it is of the opinion that sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable	Two years

(11)	(12)
Absorption, failing which by deputation/re-employment failing which by direct recruitment.	Absorption : On the basis of driving test to assess the competence, from amongst regular Despatch Rider and Group D employees in the organisation (in which the posts are to be filled up) who possess valid driving licence for Motor Car. Deputation/re-employment of Ex-servicemen : The Armed Forces personnel due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualification prescribed in Column 8 would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. (Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of Central Government shall ordinarily not exceed three years).

- 91 -

(13)	(14)
Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of : 1. Senior Deputy Accountant General/Deputy Accountant General or an officer of equivalent rank in-charge of administration group. 2. Any other Senior Deputy Accountant General/Deputy Accountant General (from an office other than the one in which confirmation are considered.) 3. An Accounts/Audit Officer. Note : The senior amongst (1) and (2) above will be the Chairman.	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Staff Car Driver Grade-II	26* (2000) *Subjec to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 4000-100-6000
4. [illegible]aff Car Driver Grade-I	20* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 4500-125-7000

(5)	(6)	(7)
Non-selection	Not applicable	Not applicable
Non-selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(11)	(12)
By promotion	Promotion : Staff Car Drivers Ordinary Grade with nine years regular service in grade on passing the Trade test of appropriate standard.
By promotion	Promotion : Staff Car Drivers Grade-II with six years regular service in grade on passing the Trade test of appropriate standard.

(13)	(14)
D.partmental Promotion Committee consisting of : 1. Assistant Comptroller Accountant General (N)—Chairman 2. Any other officer in the rank of Senior Deputy Accountant General/Deputy Accountant General (from an office other of the IA & AD)—Member 3. An officer in the rank of Senior Accounts Officer /Audit Officer—Member	Not applicable
Departmental Promotion Committee consisting of : 1. Assistant Comptroller Accountant General (N)—Chairman 2. Any other officer in the rank of Senior Deputy Accountant General/Deputy Accountant General (from an office other of the IA&AD)—Member 3. An officer in the rank of Senior Accounts Officer /Audit Officer—Member	Not applicable

[File No. A-12018/21/99-EG]

B. KUMAR, Dy. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India Part II, Section 3(i) dated 30-7-88 vide GSR-613 dated 14-7-88 at pages 2312—2318.